**अपील सूचना अधिकार संख्या 64/2017 अनवानी एडवोकेट शिव कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द्र निवासी नाहरांवाली तहसील अनूपगढ बनाम उपजिला कलक्टर , सूरतगढ़**

**29–09–2017**

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी एडवोकेट श्री शिवकुमार उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी एडवोकेट श्री शिवकुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.06.17 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, उपजिला कलक्टर, सूरतगढ से निम्न सूचनांए चाही थीः–

1. ग्राम नांगलिया त0 सूरतगढ में खसरा में 77/25 भूमि टी.सी. आवंटन किसके नाम से हुई थी।
2. ग्राम नागलिया में खसरा खातोनी 52 संख्या मु.न. 77 किसके नाम से आवंटन हुई।
3. प्रेमप्रकाश पुत्र मोहरीराम जाति अरोडा साकिन सूरतगढ को ग्राम नागलिया त0 सूरतगढ में कौनसी भूमि मु.न. एवं खसरा न0 व किस प्रकार से अलोटमेट हुई।
4. उपरोक्त भूमि की कुल कितनी किस्ते जमा है व कितनी राशि आज तक बाकी है।
5. उपरोक्त भूमि पर वर्तमान में कब्जा कास्त कौन है एवं क्या यह भूमि अन्य को अलोटमेट कर दी गई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपीलार्थी ने यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी जिला कलक्टर कार्यालय श्रीगंगानगर के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत की गयी है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 21.06.2017 के द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ ने अपना प्रतिवेदन संख्या 1692 दिनांक 25.09.17 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने अपने पत्र सं0 एलआर/17/2882 दिनांक 27.07.17 के द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को लिखा जा चुका है जिसकी प्रति साथ में प्राप्त नही हुई है। उनके द्वारा भी अपीलार्थी को अलग से लिखा जा रहा है कि वांछित सूचना के संबंध में तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करवाकर सूचना प्राप्त कर लेवें।

आवंटन अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के उक्त प्रतिवेदन के अनुसार तहसीलदार (भू.अ.) सूरतगढ ने अपने पत्र सं0 एलआर/17/2882 दिनांक 27.07.17 के द्वारा सूचनांओ के लिए निर्धारित शुल्क जमा करवाकर प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए अपीलार्थी को लिखा गया है। अपीलार्थी को चाहिए कि वह अपने द्वारा चाही गई सूचनांओं के संबंध में निर्धारित शुल्क तहसीलदार (भू.अ.) सरतगढ़ में जमा करवाकर सूचना प्राप्त करे। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होने से खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ को निदेशित किया जाता है कि यदि अपीलार्थी चाही गई सूचनांओ के संबंध में वांछित निर्धारित शुल्क जमा करवा दे तो उसे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.09.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सा.ना.